तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 59/2024 बअनवान खेराजराम बनाम पारूदेवी वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 20.11.2024

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री रोशनलाल

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2021 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में अपील संख्या 31/2021 अनवान निम्बाराम बनाम पारूदेवी पेश की गई जिस पर अपील को दिनांक 17.09.2021 को अस्वीकार कर खारिज की गई जिस आदेश दिनांक 17.09.2021 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर में पेश की गई जो निगरानी संख्या 4856/2021 है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपीलांट की निगरानी को दिनांक 03.06.2024 को स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2021 को निरस्त किये जाते है। अपीलांट के धारा 144 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र का उतरदाता संख्या 1 द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया तथा अपीलांट के तथ्यों का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आंखे मूद कर अपीलांट को व्यक्तिगत हानि पहुंचाने के उद्देश्य से धारा 144 सी पी सी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 13.08.2024 को खारिज किया गया जो निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के आदेश की घोर अवहेलना की गई है जबकि जिस आदेश दिनांक 08.06.2021 को ही निरस्त किया जा चुका है जिस आदेश के आधार पर रेकर्ड में फेरफार किया गया था इसलिये निरस्त आदेश के आधार पर उक्त फेरफार का अब रेकर्ड में रखा जाना कतई विधि सम्मत नहीं है इसलिए राजस्व रेकर्ड को पुनः बहाल किया जाना न्यायोचित था। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

उतरदाता के अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस हस्तगत प्रकरण को लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांटस की अपील को स्वीकार किया जाता है तो हम उतरदाता को कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वक्त बहस उतरदाता के अधिवक्ता द्वारा अपीलांटस की अपील को स्वीकार करने में सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में हस्तगत अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2024 को निरस्त किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 03.06.2024 के आधार पर अपीलाधीन आराजी मौजा लुखु तहसील धौरीमन्ना के खसरा संख्या 401 में पुनः स्थिति बहाल/प्रत्यास्थापन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(ओमप्रकाश प्रजापत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर